....

## राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या-119 जिसका उत्तर 02 जुलाई, 2019 को दिया जाना है ।

### गोवा-तामनार ट्रांसमीशन लाईन से वन भूमि का नष्ट होना

### \*119. श्री माजीद मेमनः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

- (क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गोवा-तामनार ट्रांसमीशन प्रोजेक्ट लिमिटेड (जीटीटीपीएल) द्वारा 177 हेक्टेयर वन भूमि का सफाया हो जाएगा;
- (ख) यदि हां, तो पर्यावरण प्रभाव आंकलन (ईआईए) की समुक्तियों में किए गए उल्लेख के अनुसार, पारिस्थितिकी और सामाजिक व्यवस्था दोनों पर पड़ने वाले तात्कालिक एवं दीर्घकालिक नकारात्मक प्रभावों का ब्यौरा क्या है;
- (ग) सरकार द्वारा उक्त परियोजना के किसी विकल्प पर विचार करने तथा इसके पुनर्निर्धारण के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं; और
- (घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में किन-किन समाधानकारी उपायों पर विचार किया गया है और उन्हें लागू किया गया है?

#### उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रक्षार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"गोवा-तमनार ट्रांसिमशन लाइन से वन भूमि का नष्ट होना" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 02.07.2019 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 119 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

\*\*\*\*\*

(क) और (ख) : मैसर्स गोवा-तमनार ट्रांसिमशन प्रोजेक्ट लिमिटेड (जीटीटीपीएल) एक अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली लाइसेंसी है जो टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से अवार्ड की गई रायगढ़ (तमनार) पूल पर एकत्र की गई उत्पादन परियोजनाओं से विद्युत की निकासी के लिए गोवा में अतिरिक्त 400 केवी का प्रबंध करने एवं अतिरिक्त प्रणालीस्कीम का कार्यान्वयन कर रही है। मैसर्स जीटीटीपीएल से प्राप्त सूचना के "अनुसार, इस परियोजना द्वारा वन डाइवर्जन के प्रयोजन हेतु प्रभावित क्षेत्र लगभग 177 हेक्टेयर होगा। तथापि, वास्तविक प्रभावित क्षेत्र जिसका उपयोग पेड़ों की कटाई एवं कार्य के लिए निष्पादन के लिए किया जाएगा, केवल 23.098 हेक्टेयर होगा। इस प्रभावित क्षेत्र की प्रतिपूर्ति भी कंडक्टर के नीचे छोटे/औषधीय पौधे लगाकर की जाएगी। इसके अतिरिक्त, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अधीन अपेक्षित स्वीकृति के लिए, परियोजना विकासकर्ता को 177 हेक्टेयर वन भूमि के प्रस्तावित डाइवर्जन के स्थान पर इससे दोगुने क्षेत्र अर्थात् 354 हेक्टेयर में वनरोपण करना होगा। यह वनरोपण परियोजना विकासकर्ता द्वारा किया जाएगा और 10 वर्षों के लिए इसका रख-रखाव किया जाएगा।

पारेषण लाइनों का पारिस्थितिकी एवं सामाजिक प्रणाली पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। इसलिए, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की ईआईए अधिसूचना, 2006 के अनुसार पारेषण लाइन परियोजनाओं का पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) कराना आवश्यक नहीं होता है। तथापि, जब पारेषण लाइन वन क्षेत्र से गुजरती है तो वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अधीन आवश्यक स्वीकृति लेनी पड़ती है।

(ग) और (घ): मैसर्स जीटीटीपीएल ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकार प्रदान करने के आवेदन के साथ उपरोक्त ओवर हैड लाइनों के लिए 3 वैकल्पिक मार्ग प्रस्तुत किए हैं। प्राधिकार न्यूनतम वन एवं संरक्षित क्षेत्र वाले मार्ग के लिए प्रदान किया गया है।

राहत उपाय के रूप में निम्नलिखित को ध्यान में रखा गया है:

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रतिपूरक वनरोपण (सीए)।
- कम से कम वन एवं संरक्षित क्षेत्र को शामिल करते हुए मार्ग का चयन।
- इसके प्रभाव को और अधिक कम करने के लिए, उपर्युक्त लाइन के संरेखण के लिए पहले से मौजूद निष्क्रिय 110 केवी लाइन के मार्ग पर विचार किया गया है।

....

## राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या-1228 जिसका उत्तर 02 जुलाई, 2019 को दिया जाना है ।

### ग्रामीण घरों का विद्युतीकरण

1228. श्री डी. कुपेन्द्र रेड्डीः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

- (क) क्या देश के सभी घरों में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली के कनेक्शन दे दिए गए हैं;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
- (ग) केन्द्रीय सरकार दवारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

#### उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ग): दिनांक 31.03.2019 की स्थित के अनुसार सभी राज्यों ने सभी इच्छुक घरों के विद्युतीकरण की सूचना दी है, सिवाए बस्तर क्षेत्र के एलडब्ल्यूई प्रभावित चार जिलों में स्थित 18,734 घरों को छोड़कर। भारत सरकार ने सभी घरों, जो विद्युतीकृत नहीं किए गए थे और विद्युत का कनेक्शन लेने के इच्छुक थे, की कनेक्टिविटी के लिए सौभाग्य योजना शुरू की थी। सौभाग्य के अंतर्गत अंतिम छोर की कनेक्टिविटी के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के अतिरिक्त भारत सरकार उपभोक्ता आधार के विस्तार की सहायता हेतु अवसंरचना स्थापित करने/सुदृढ़ करने के लिए दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना और आईपीडीएस के अंतर्गत राज्य को सहायता भी उपलब्ध कराती है।

....

## राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या-1229 जिसका उत्तर 02 जुलाई, 2019 को दिया जाना है ।

### ग्रामीण विद्युतीकरण में प्रगति

## 1229. श्रीमती विप्लव ठाक्रः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

- (क) क्या सरकार ने राज्य सरकारों से उनके सम्बद्ध राज्यों में ग्रामीण विद्युतीकरण की प्रगति की सूचना मांगी है;
- (ख) यदि हां, तो हिमाचल प्रदेश सहित राज्य सरकारों द्वारा इस संबंध में दी गई रिपोर्टों का ब्यौरा क्या है;
- (ग) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक राज्य को ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए आवंटित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अतिरिक्त धनराशि की मांग की है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

#### उत्तर

## विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

- (क) और (ख): दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) तथा प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना त करने के लिए इन यन को सुनिश्चित कार्यान्ववस्थिकी कड़ाई से निगरानी और सुव्य (सौभाग्य) यन एजेंसियों कार्यान्व/ वितरण कंपनियोंयोजनाओं के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण की प्रगति संबंधित राज्य ऑनलाइन वेब :द्वारा क्रमशपोर्टल <u>www.ddugjy.gov.in</u> और <u>www.saubhagya.gov.in</u> पर अद्यतन की जाती है। ब्यौरा इन पोर्टलों पर उपलब्ध है।
- (ग): संस्वीकृत परियोजनाओं के लिए निधियां विगत में जारी की गई राशि के उपयोग तथा डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित शर्तों को पूरा करने के आधार पर किस्तों में जारी की जाती हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान डीडीयूजीजेवाई तथा सौभाग्य योजनाओं के अंतर्गत 37,640 करोड़ रुपए का अनुदान संवितरित किया गया है। राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।
- (घ) और (ङ) : हिमाचल प्रदेश के लिए डीडीयूजीजेवाई और सौभाग्य के अंतर्गत 173.74 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए थे।

राज्य सभा में दिनांक 02.07.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1229 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*\*

पिछले तीन वर्षों के दौरान सौभाग्य और डीडीयूजीजेवाई (अतिरिक्त अवसंरचना सहित) के अंतर्गत संवितरित किया गया राज्य-वार अनुदान

(करोड़ रुपए में)

क्रम सं.	राज्य का नाम	2016-17	2017-18	2018-19	(कराड़ रुपए म
1	आंध्र प्रदेश	128	165	175	469
2	अरुणाचल प्रदेश	101	81	299	481
3	असम	598	443	1491	2532
4	बिहार	1292	878	2611	4781
5	छत्तीसगढ़	126	595	298	1019
6	गुजरात	110	143	181	435
7	हरियाणा	110	45	22	67
8	हिमाचल प्रदेश		10	16	16
9	जम्मू और कश्मीर		67	593	660
10	झारखंड	327	932	1445	2704
11	कर्नाटक	145	204	451	800
12	केरल	134	102	57	293
13	मध्य प्रदेश	421	860	1099	2380
14	महाराष्ट्र	257	158	621	1036
15	मणिपुर	36	39	76	151
16	मेघालय	26	58	253	336
17	मिजोरम	14	42	70	126
18	नागालैंड	21	29	89	139
19	ओडिशा	1079	442	1528	3049
20	<b>पंजाब</b>		15	42	57
21	राजस्थान	347	782	1349	2477
22	सिक्किम		18	21	39
23	तमिलनाडु	110	2	244	356
24	तेलंगाना तेलंगाना	27	60	61	148
25	त्रिपुरा	78	62	349	488
26	उत्तर प्रदेश	2262	4013	4083	10358
27	उत्तराखंड	16	46	292	354
28	पश्चिम बंगाल	273	255	1354	1882
29	गोवा			3	3
30	दादरा व नागर हवेली			1	1
31	पुड्चेरी	1			1
32	अंडमान निकोबार		1		1
	कुल	7930	10537	19174	37641

---

## राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या-1230 जिसका उत्तर 02 जुलाई, 2019 को दिया जाना है।

### देश में लम्बित विद्युत परियोजनाएं

## 1230. श्रीमती विप्लव ठाक्रः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

- (क) हिमाचल प्रदेश सहित देश में नए विद्युत संयंत्रों के निर्माण की राज्य-वार वर्तमान स्थिति क्या है;
- (ख) क्या विद्युत संयंत्रों के निर्माण के लिए पर्यावरणीय मंजूरी एक बड़ी समस्या है; और
- (ग) यदि हां, तो देश में और विशेषकर हिमाचल प्रदेश में पर्यावरणीय मंजूरी नहीं मिलने के कारण लम्बित अथवा विलम्बित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

#### उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

#### (श्री आर. के. सिंह)

(क): इस समय देश में, हिमाचल प्रदेश में कुल 1885 मेगावाट की 8 जल विद्युत परियोजनाओं सहित, कुल 12034.50 मेगावाट की 36 जल विद्युत परियोजनाएं (25 मेगावाट से अधिक) निर्माणाधीन हैं। इन परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध-l में दिया गया है।

इन परियोजनाओं के अलावा, देश में कुल 64,996.15 मेगावाट की 62 ताप विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। इन परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा **अनुबध-॥** में दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में कोई भी ताप विद्युत परियोजना निर्माणाधीन नहीं है।

(ख) और (ग): कुछ जल विद्युत परियोजनाओं की निर्माण में विलंब का एक कारण पर्यावरणीय एवं वन स्वीकृतियों का न मिलना है।

वर्तमान में, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा सहमित प्राप्त/मूल्यांकित कुल 23,424 मेगावाट संस्थापित क्षमता वाली देश में 30 जल विद्युत परियोजनाओं की डीपीआर जिसमें हिमाचल प्रदेश की 3 परियोजनाएं शामिल हैं, को पर्यावरण एवं वन स्वीकृति से संबंधित मुद्दों के कारण निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है। ब्यौरे अनुबंध-III में दिए गए हैं।

राज्य सभा में दिनांक 02.07.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1230 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

# देश में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं (25 मेगावाट से अधिक) की स्थिति

क्रम सं.	राज्य	परियोजना का नाम	क्षमता (मेगावाट)
1.	आंध्र प्रदेश	पोलावरम	960
2.	अरुणाचल प्रदेश	सुबानसिरी लोअर	2000
3.	अरुणाचल प्रदेश	कामेंग	600
4.	हिमाचल प्रदेश	पारबती-II	800
5.	हिमाचल प्रदेश	૩ફल-Ⅲ	100
6.	हिमाचल प्रदेश	सवारा कुड्डू	111
7.	हिमाचल प्रदेश	शोंगचोंग करचम	450
8.	हिमाचल प्रदेश	सोरांग	100
9.	हिमाचल प्रदेश	टंगनु रोमई-।	44
10.	हिमाचल प्रदेश	बजोली होली	180
11.	हिमाचल प्रदेश	टिडोंग-।	100
12.	जम्मू और कश्मीर	पकल दुल	1000
13.	जम्म् और कश्मीर	परनई	37.5
14.	जम्मू और कश्मीर	लोअर कलनई	48
15.	जम्मू और कश्मीर	रत्ले	850
16.	केर <b>ल</b>	पल्लीवसल	60
17.	केरल	थोटियार	40
18.	मध्य प्रदेश	महेश्वर	400
19.	महाराष्ट्र	कोयना लेफ्ट बैंक पीएसएस	80
20.	पंजाब <b></b>	शाहपुरकंडी	206
21.	सिक्किम	तीस्ता-VI	500
22.	सिक्किम	रंगित-IV	120
23.	सिक्किम	भास्मे	51
24.	सिक्किम	रंगित-॥	66
25.	सिक्किम	रोंगनीच्	96
26.	सिक्किम	पनन	300
27.	तमिलनाडु	कुंडहा पम्प्ड स्टोरेज फेज-।	125
28.	उत्तराखंड	तपोवन विष्णुगाड	520
29.	उत्तराखंड	टिहरी पीएसएस	1000
30.	उत्तराखंड	लता तपोवन	171
31.	उत्तराखंड	विष्णुगाड पीपलकोटि	444
32.	उत्तराखंड	नैटवर मोरी	60
33.	उत्तराखंड	व्यासी	120
34.	उत्तराखंड	फाटा ब्यूंग	76
35.	उत्तराखंड	सिंगोली भटवारी	99
36.	पश्चिम बंगाल	रम्माम-III	120
	क्ल	1	12034.50

राज्य सभा में दिनांक 02.07.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1230 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

# देश में निर्माणाधीन ताप विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य	परियोजना का नाम	क्षमता (मेगावाट)
1.	बिहार	बाढ़ एसटीपीपी-।	1980
2.	बिहार	नबी नगर टीपीपी	250
3.	बिहार	न्यू नबी नगर टीपीपी	1980
4.	छत्तीसगढ़ -	लारा एसटीपीपी	800
5.	झारखंड	नॉर्थ करणपुरा एसटीपीपी	1980
6.	मध्य प्रदेश	गदरवारा एसटीपीपी	800
7.	मध्य प्रदेश	खरगोन एसटीपीपी	1320
8.	ओडिशा	दार्लीपल्ली एसटीपीपी	1600
9.	राजस्थान	बरसिंगसर टीपीपी एक्सटें.	250
10.	राजस्थान	बिथनोक टीपीपी	250
11.	तेलंगाना	तेलंगाना एसटीपीपी स्टे।	1600
12.	·		1000
13.	तमिलनाडु उत्तर प्रदेश	नैवेली न्यू टीपीपी मेजा एसटीपीपी	660
14.	उत्तर प्रदेश		1980
15.	उत्तर प्रदेश	घाटमपुर टीपीपी टांडा टीपीपी स्टे॥	
			1320
16.	झारखंड	पतरातु एसटीपीपी राजरकेला पीपी-II एक्सपेंशन	2400
17.	ओडिशा		250
18.	आंध्र प्रदेश	डॉ. नारल्ला टाटा राव टीपीएस स्टेV	800
19.	आंध्र प्रदेश	श्री दामोदरम संजीव्याह टीपीपी स्टे॥	800
20.	असम	नामरूप सीसीजीटी	36.15
21.	गुजरात	वांकाबोरी टीपीएस एक्सटें.	800
22.	कर्नाटक	येलहांका सीसीपीपी	370
23.	महाराष्ट्र	भुसावल टीपीएस	660
24.	ओडिशा	आईबी वैली टीपीपी	1320
25.	राजस्थान	स्रतगढ़ एससीटीपीपी	1320
26.	तेलंगाना	भद्रादरी टीपीपी/टीएसजैंको/भेल	1080
27.	तमिलनाडु	एन्नोर एक्सपें. एससीटीपीपी	660
28.	तमिलनाडु	एन्नोर एससीटीपीपी	1320
29.	तमिलनाडु	नॉर्थ चेन्नई टीपीपी स्टेIII	800
30.	तमिलनाडु	उडनगुडी एसटीपीपी स्टेज-।	1320
31.	तमिलनाडु	अपर सुपर क्रिटिकल टीपीपी	1600
32.	उत्तर प्रदेश	हरदुआगंज टीपीएस एक्सपें॥	660
33.	तेलंगाना	यादादरी टीपीएस	4000

		÷ "	64996.15
62.	पश्चिम बंगाल	हिरनमये एनर्जी लि. (इंडिया पावर कारपोरेशन (हल्दिया) टीपीपी	150
61.	तमिलनाडु	तूतीकोरिन टीपीपी स्टेIV	525
60.	तमिलनाडु	तूतीकोरिन टीपीपी (इंड बराथ)	660
59.	ओडिशा	मली ब्राह्मणी टीपीपी	1050
58.	ओडिशा	लेंको बाबंध टीपीपी	1320
57.	ओडिशा	केवीके नीलांचल टीपीपी	1050
56.	ओडिशा	इंड बराथ टीपीपी (ओडिशा)	350
55.	मध्य प्रदेश	गोरजी टीपीपी	660
54.	महाराष्ट्र	शीरपुर टीपीपी	150
53.	महाराष्ट्र	बिजोरा घनमुख टीपीपी	600
52.	महाराष्ट्र	नासिक टीपीपी फेज-II	1350
51.	महाराष्ट्र	लेंको विदर्भा टीपीपी	1320
50.	महाराष्ट्र	अमरावती टीपीपी फेज-॥	1350
49.	झारखंड	तोरी टीपीपी फेज-॥	600
48.	झारखंड	तोरी टीपीपी फेज-।	1200
47.	झारखंड	मैत्रीश्री उषा टीपीपी फेज-॥	540
46.	झारखंड	मैत्रीश्री उषा टीपीपी फेज-।/कारपोरेट पावर लि. ईपीसी-भेल	540
45.	छत्तीसगढ़	देवरी (विसा) टीपीपी	600
44.	छत्तीसगढ़	सलोरा टीपीपी	135
43.	छत्तीसगढ़	सिंग्हीतराई टीपीपी	1200
42.	छत्तीसगढ़	लैंको अमरकंटक टीपीपी-॥	1320
41.	छत्तीसगढ़	बिंजकोट टीपीपी	600
40.	छत्तीसगढ़	अकालतारा टीपीपी (नैयारा)	1800
39.	बिहार	सिरिया टीपीपी (जस इंफ्रा. टीपीपी)	2640
		सेथर वेसेल्स टीजी-चाइनीज	
38.	अरुणाचल प्रदेश	थामिनापट्टनम टीपीपी स्टेज-II/ मीनाक्षी एनर्जी प्रा. लि. एसजी-	700
37.	अरुणाचल प्रदेश	भावनापड् टीपीपी फेज-।	1320
36.	उत्तर प्रदेश	ओबरा-सी एसटीपीपी	1320
35.	उत्तर प्रदेश	जवाहरपुर एसटीपीपी पंकी टीपीएस एक्सटें.	660

राज्य सभा में दिनांक 02.07.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1230 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*\*

सीईए द्वारा सहमित प्राप्त/मूल्यांकित जल विद्युत परियोजनाएं जिनमें पर्यावरण/वन स्वीकृति के कारण निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है

क्रम सं.	स्कीम का नाम	राज्य	क्षेत्र	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	सीईए की सहमति/मूल्यांकन
पर्यावरण	। स्वीकृति प्राप्त की गई परंतु वन	्र स्वीकृति प्रतीक्षित है			
1.	लोअर कोपिली	असम	राज्य	120	24.05.16
2.	रूपसियाबगर खसियाबारा	उत्तराखंड	केंद्रीय	261	16.10.08
3.	देवसरी	उत्तराखंड	केंद्रीय	252	07.08.12
4.	तीस्ता स्टेIV	सिक्किम	केंद्रीय	520	13.05.10
5.	तवांग स्टे।	अरुणाचल प्रदेश	केंद्रीय	600	10.10.11
6.	तवांग स्टे॥	अरुणाचल प्रदेश	केंद्रीय	800	22.09.11
7.	दिबांग	अरुणाचल प्रदेश	केंद्रीय	2880	18.09.17
8.	डिबिन	अरुणाचल प्रदेश	निजी	120	04.12.09
9.	कलई-॥	अरुणाचल प्रदेश	निजी	1200	27.03.15
10.	हियो	अरुणाचल प्रदेश	निजी	240	28.07.15
11.	टाटो-।	अरुणाचल प्रदेश	निजी	186	28.10.15
12.	टलोंग लोंदा	अरुणाचल प्रदेश	निजी	225	16.08.13
13.	इटेलिन	अरुणाचल प्रदेश	निजी	3097	12.07.13
14.	ल्हरी स्टेज-।	हिमाचल प्रदेश	केंद्रीय	210	01.05.18
15.	मियार	हिमाचल प्रदेश	निजी	120	07.02.13
16.	छतरू	हिमाचल प्रदेश	निजी	126	15.1.15
17.	स्वालकोट	जम्मू और कश्मीर	राज्य	1856	27.12.16
18.	ट्रगा पीएसपी	पश्चिम बंगाल	राज्य	1000	05.10.16
पर्यावरण	एवं वन स्वीकृति दोनों प्रतीक्षित	<b>卷</b>			
19.	किरथई-॥	जम्मू और कश्मीर	राज्य	930	14.06.19
20.	लोअर सियांग	अरुणाचल प्रदेश	निजी	2700	16.02.10
21.	हिरोंग	अरुणाचल प्रदेश	निजी	500	10.04.13
22.	नेइंग	अरुणाचल प्रदेश	निजी	1000	11.09.13
23.	अद्दलनी	अरुणाचल प्रदेश	निजी	680	02.07.18
24.	किंशी-।	मेघालय	निजी	270	31.03.15
25.	दिख्	नागार्लेंड	निजी	186	31.03.14
पर्यावरण	एवं वन स्वीकृति न्यायाधीन है	,	1		
26.	कोटलीभेल स्टे।ए	उत्तराखंड	केंद्रीय	195	03.10.06
27.	कोटलीभेल स्टेlबी	उत्तराखंड	केंद्रीय	320	31.10.06
28.	अलकनंदा	उत्तराखंड	निजी	300	08.08.08
29.	न्यामजंग छू	अरुणाचल प्रदेश	निजी	780	24.03.11
30.	डेम्वे लोअर	अरुणाचल प्रदेश	निजी	1750	20.11.09
		कुल (ईएंडएफ स्वीकृति के	लिए लंबित)	23424	

---

## राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या-1231 जिसका उत्तर 02 जुलाई, 2019 को दिया जाना है ।

#### डिस्कॉम के ऋण स्तर

#### 1231. श्री ए. के. सेल्वाराजः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

- (क) क्या यह सच है कि इस वित्तीय वर्ष के अंत तक विद्युत वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम) का ऋण उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) के लागू होने से पूर्व की स्थिति तक अर्थात् 26 लाख करोड़ रुपये के स्तर तक बढ़ना तय है;
- (ख) क्या यह भी सच है कि विस्तृत सहमित-ज्ञापनों वाले 16 'उदय' राज्यों का 'उदय' के लागू होने से पूर्व का ऋण लगभग 3.24 लाख करोड़ रुपये था;
- (ग) क्या 'उदय' योजना के अनुसार प्रतिभागी राज्यों द्वारा लगभग 85,000 करोड़ रुपये के ऋण अभी भी अनुदान या इक्विटी में बदला जाना बाकी है; और
- (घ) क्या 'उदय' योजना का लक्ष्य डिस्कॉम ऋण स्तर को कम करना और उसकी दक्षता को बढ़ाना था?

#### उत्तर

## विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

- (क) : जी, नहीं। डिस्कॉम ऋण स्तर इस वित्तीय वर्ष के अंत तक बढ़कर 26 लाख करोड़ रुपए नहीं होने जा रहा है।
- (ख) और (ग): 16 उदय राज्यों जिन्होंने भारत सरकार के साथ विस्तृत समझौता जापन हस्ताक्षरित किए थे, के उदय-पूर्व ऋण स्तर उनके द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 30.09.2015 को 3.24 लाख करोड़ रुपए थे। इन राज्यों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार वे 2.09 लाख करोड़ रुपए तदनुरूपी बॉड पहले ही जारी कर च्के हैं, जिसमें से 1.24 लाख करोड़ रुपए अन्दान/इक्विटी में परिवर्तित कर दिए गए हैं।
- **(घ) :** जी, हां।

---

## राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या-1232 जिसका उत्तर 02 जुलाई, 2019 को दिया जाना है ।

### 'सौभाग्य' योजना के तहत विद्य्तीकृत गांव

#### 1232. श्री संजय सेठः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

- (क) 2014 से लेकर 'सौभाग्य' योजना के अंतर्गत विद्युतीकृत गांवों की संख्या क्या है;
- (ख) इस योजना के उद्देश्य से विद्युतीकृत गांव की परिभाषा क्या है;
- (ग) क्या यह सच है कि घरों में बिजली प्राप्ति के घंटों की संख्या की दृष्टि से विभिन्न राज्यों के बीच काफी असमानता है; और
- (घ) बिजली की चोरी और पारेषण-हानियों का कारण बनी कमजोर अवसंरचनाओं में सुधार लाने के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं?

#### उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रक्षार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

- (क) और (ख): सभी शेष गैर-विद्युतीकृत ग्रामीण घरों में और शहरी क्षेत्रों में सभी गरीब घरों को मार्च, 2019 तक विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराकर सभी घरों के विद्युतीकरण के लक्ष्य को हासिल करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने अक्तूबर, 2017 में प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य की शुरूआत की। दिनांक 11.10.2017 के बाद देश में 2.628 करोड़ घरों का विद्युतीकरण कर दिया गया है। सौभाग्य घरों के विद्युतीकरण की एक योजना है।
- (ग) और (घ): विद्युत की आपूर्ति राज्य सरकारों/डिस्कॉम/विद्युत यूटिलिटियों के अधिकार क्षेत्र में आती है। तथापि, भारत सरकार ने सभी घरों, औद्योगिक और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को 24x7 विद्युत उपलब्ध कराने तथा राज्य नीति के अनुसार कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत की पर्याप्त आपूर्ति करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ एक संयुक्त पहल की है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई), एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस), प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना-सौभाग्य तथा उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय) जैसी कई योजनाएं शुरू की हैं तािक राज्य अपने वितरण ढांचे में स्धार और एटीएंडसी हािनयों तथा बिजली की चोरी को कम कर सकें।

---

## राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या-1233 जिसका उत्तर 02 जुलाई, 2019 को दिया जाना है ।

#### पारेषण लाइन की स्थापना

1233. डॉ. आर. लक्ष्मणनः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

- (क) क्या सरकार ने देश में विद्युत की अधिकता वाले प्रदेशों से विद्युत कमी वाले प्रदेशों तक विद्युत ले जाने के लिए देश भर में पर्याप्त पारेषण लाइनें बनाई हैं;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार पारेषण हानि को न्यूनतम करने के लिए पारेषण लाइनों की स्थापना में सर्वोत्तम मॉडल अपना रही है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

#### उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

- (क) और (ख): भारतीय पारेषण प्रणाली विश्व में सबसे बड़ी सिंक्रोनस राष्ट्रीय ग्रिड में से एक है जो ±800 केवी एचवीडीसी, 765 केवी एसी, स्टेटकॉम्स आदि जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकी से युक्त है। अब राष्ट्रीय ग्रिड में संचयी अंतर-क्षेत्रीय विद्युत अंतरण क्षमता लगभग 99,050 मेगावाट है। विभिन्न उत्पादन केंद्रों से भार केंद्रों को तथा देश में अधिक विद्युत वाले क्षेत्रों से कम विद्युत वाले क्षेत्रों को विद्युत के निर्बाध अंतरण के लिए लगभग 4,15,000 सर्किट किलोमीटर (सीकेएम) की पारेषण लाइनें तथा 220 केवी और इससे अधिक के वोल्टेज स्तर पर 9,08,000 एमवीए की अंतरण क्षमता उपलब्ध है।
- (ग) और (घ) : अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) में पारेषण हानियां केवल 2.5% से 3% के बीच हैं। आईएसटीएस हानियों को न्यूनतम स्तर पर रखने के लिए ईएचवी (अतिरिक्त उच्च वोल्टेज) स्तरों वाले उच्च क्षमता के पारेषण कॉरीडोरों के साथ-साथ ऊर्जा दक्ष उपकरण लगाए गए हैं।

••••

#### राज्य सभा

## अतारांकित प्रश्न संख्या-1234 जिसका उत्तर 02 जुलाई, 2019 को दिया जाना है ।

## गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले (बीपीएल) परिवारों के लिए विद्युत कनेक्शन

### 1234. डॉ. किरोड़ी लाल मीणाः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

- (क) विगत तीन वर्षों से जिन परिवारों को विद्युत आपूर्ति दी गई है, उनकी वर्ष-वार और राज्य-वार संख्या क्या है:
- (ख) विगत तीन वर्षों से गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे (बीपीएल) परिवारों को दिये गए विद्युत कनेक्शनों की संख्या क्या है;
- (ग) बीपीएल परिवारों की राज्य-वार प्रतिव्यक्ति बिजली-उपभोग का ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकार का बीपीएल परिवारों को बिजली बिल के भुगतान के लिए वित्तीय सहायता देने का इरादा है;
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

#### उत्तर

## विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

#### (श्री आर. के. सिंह)

- (क) : प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य की शुरूआत से घरों के विद्युतीकरण का वर्ष-वार एवं राज्य-वार ब्यौरा अन्बंध-। में दिया गया है।
- (ख) : दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के घरों को उपलब्ध कराए गए निःशुल्क विद्युत सर्विस कनेक्शनों का ब्यौरा इस प्रकार है:

	2016-17	2017-18	2018-19
विद्युतीकृत किए गए गरीबी रेखा से नीचे के घर	22,42,763	36,52,714	54,33,999

- (ग): वर्ष 2018-19 के लिए राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, देश में प्रति व्यक्ति खपत 1181 किलोवाट प्रति घंटा थी। राज्य-वार प्रति व्यक्ति खपत अनुबंध-॥ में दी गई है। गरीबी रेखा से नीचे के घरों के लिए प्रति व्यक्ति विद्युत खपत के लिए अलग से आंकड़े केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा नहीं रखे जाते हैं।
- (घ) से (च): भारत सरकार बिजली के बिलों के लिए गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों सिहत उपभोक्ताओं की किसी भी श्रेणी को कोई वित्तीय सहायता नहीं देती है। उपभोक्ताओं की किसी भी श्रेणी को वित्तीय सहायता/सब्सिडी विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 65 के अनुसार राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती है।

राज्य सभा में दिनांक 02.07.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1234 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

# सौभाग्य पोर्टल के अनुसार घरों का राज्य-वार विद्युतीकरण (11.10.2017 से सौभाग्य स्कीम की शुरूआत से)

31.03.2019 की स्थिति के अनुसार

	३१.७३.२०१३ का स्थित के अनुसा				
क्रम सं.	राज्य	2017-18	2018-19	कुल	
1	आंध्र प्रदेश	81,949	99,981	181,930	
2	अरुणाचल प्रदेश		47,089	47,089	
3	असम	110,836	1,634,313	1,745,149	
4	बिहार	449,016	2,810,025	3,259,041	
5	छत्तीसगढ़	155,490	593,907	749,397	
6	गुजरात	15,748	25,569	41,317	
7	हरियाणा	3,497	51,184	54,681	
8	हिमाचल प्रदेश	1,943	10,948	12,891	
9	जम्मू और कश्मीर		387,501	387,501	
10	झारखंड	125,389	1,405,319	1,530,708	
11	कर्नाटक	59,709	297,265	356,974	
12	मध्य प्रदेश	1,149,748	834,516	1,984,264	
13	महाराष्ट्र	182,896	1,335,026	1,517,922	
14	मणिपुर	746	102,002	102,748	
15	मेघालय		199,839	199,839	
16	मिजोरम		27,970	27,970	
17	नागालैंड	473	132,034	132,507	
18	ओडिशा	135,348	2,317,096	2,452,444	
19	पुडुचेरी		912	912	
20	पंजाब		3,477	3,477	
21	राजस्थान	212,555	1,650,181	1,862,736	
22	सिक्किम		14,900	14,900	
23	तमिलनाडु	2,170		2,170	
24	तेलंगाना	23,803	491,281	515,084	
25	त्रिपुरा	1,882	137,208	139,090	
26	उत्तर प्रदेश	1,133,002	6,847,566	7,980,568	
27	उत्तराखंड	4,960	243,791	248,751	
28	पश्चिम बंगाल	194,153	538,137	732,290	
	क्ल	4,045,313	22,239,037	26,284,350	

राज्य सभा में दिनांक 02.07.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1234 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*\*

## प्रति व्यक्ति खपत (केडब्ल्यूएच)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम       चंडीगढ़       दिल्ली       हिरयाणा       हिमाचल प्रदेश	978 1549 2082
दिल्ली हरियाणा	1549 2082
हरियाणा	2082
Resident add	1418
जम्मू और कश्मीर	1322
पंजाब	2046
राजस्थान	1282
उत्तर प्रदेश	606
उत्तराखंड	1467
उप-जोड़ (एनआर)	1045
छत्तीसगढ़	1961
गुजरात	2378
मध्य प्रदेश	1084
महाराष्ट्र	1424
दमन और दीव	7759
दादरा व नागर हवेली	15180
गोवा	2275
उप-जोड़ (डब्ल्युआर)	1622
आंध्र प्रदेश	1480
तेलंगाना	1896
कर्नाटक	1396
केर <b>ल</b>	757
तमिलनाडु	1866
पुडुचेरी	1745
लक्षद्वीप	554
उप-जोड़ (एसआर)	1525
बिहार	311
झारखंड	938
ओडिशा	1628
पश्चिम बंगाल	703
सिक्किम	873
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	597
उप-जोड़ (ईआर)	726
अरुणाचल प्रदेश	703
असम	341
मणिप्र	371
मेघालय	881
मिजोरम	617
नागालैंड	356
त्रिपुरा	514
उप-जोड़ (एनईआर)	407
कृत अखिन भारत	1181

प्रति व्यक्ति खपत = (सकल ऊर्जा उत्पादन + निवल आयात)/मध्य वर्ष जनसंख्या।

----

## राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या-1235 जिसका उत्तर 02 जुलाई, 2019 को दिया जाना है ।

#### वितरण कंपनियों पर बकाया राशि

1235. श्री टी. के. रंगराजनः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

- (क) विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) द्वारा विद्युत उत्पादक कंपनियों को देय कुल बकाया राशि कितनी है, तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
- (ख) क्या सरकार विद्युत उत्पादकों को डिस्कॉम द्वारा दी जाने वाली बकाया देय राशि को कम करने का विचार रखती है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

#### उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) : विद्युत मंत्रालय ने प्राप्ति पोर्टल (पेमेंट रेटीफिकेशन एंड ऐनलिसिस इन पावर प्रोक्यूमेंट फार ब्रिगिंग ट्रांसपेंरसी इन इनवाइसिंग ऑफ जेनरेटर्स) बनाया है जिस पर विद्युत उत्पादकों (पारंपरिक ऊर्जा) ने वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) द्वारा विद्युत के प्रापण का भुगतान और बिल संबंधी आंकड़े पोस्ट किए हैं। अप्रैल, 2019 के अंत में प्राप्ति पोर्टल पर विद्युत उत्पादकों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार डिस्कॉमों की ओर से 21,198 करोड़ रुपए की कुल राशि विद्युत उत्पादकों को देय है। विद्युत बकाया का राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध-। में दिया गया है।

भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (आईआरईडीए) द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, लगभग यह अनुमान लगाया गया है कि दिनांक 1.4.2019 की स्थिति के अनुसार पवन तथा सौर उत्पादकों, दोनों के नवीकरणीय ऊर्जा (आरई) स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपी) के लिए डिस्कॉम्स द्वारा बकाया राशि 13,820 करोड़ रूपए है। इसके राज्यवार ब्यौरे अनुबंध-॥ पर हैं।

(ख): विद्युत मंत्रालय ने मार्च, 2019 में राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के मुख्य सचिवों को विद्युत उत्पादकों के लिए डिस्कॉमों की ओर से देय बकाया राशि में कमी सुनिश्चित करने के लिए उत्पादक कंपनियों की बकाया राशि चुकाने के लिए लिखा है।

राज्य सभा में दिनांक 02.07.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1235 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

# डिस्कॉम से विद्युत उत्पादकों के लिए देय राशि दर्शाने वाला राज्य-वार विवरण

अप्रैल, 2019 की स्थिति के अनुसार (आंकड़े करोड़ रुपए में)

अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	राज्य	अप्रल, 2019 की स्थित के अनुसार (आकड़ कराड़ रुपए म विवादित राशि को छोड़कर अप्रैल, 2019 के अंत में बकाया राशि (करोड़ रुपए)
अ <table-cell>     अस्म अ     अस्म</table-cell>	·	
अरुगाचल प्रदेश		
असम11.66618454बिहार222.5636778घंडीगढ़7.8010317छत्तीगढ़16.77754558द्वादरा और नगर हवेली224.4785902द्वेत्ता और नगर हवेली950.6323917गुजरात13.92562099हरियाणा516.3285158हिमाचल प्रदेश52.5197748जम्मू और कश्मीर1863.527227झारखंड19.4593117कर्नाटक3256.99248केरल000016981मध्य प्रदेश810.3547467महाराष्ट्र377.6640987मीणपुर30.0674095मैघालय593.7039743मिजोरम0.8867746नागालँड0.99996भोडिशा590.0954025पुडुचेरी5.54140226पंजाब226.8049227राजस्थान19.378,95249सिक्नम16.3886447तमिलानु2970.120547तंलंगाना19.3886447तीलेलानु2970.120547तंलंगाना17.76,534372तेलंगाना19.3934342उत्तर प्रदेश4768.410525उत्तर प्रदेश4768.410525उत्तराखंड39.525406परिचन बंगाल46.82405449		
चंडोगढ़ 7.8010317 छत्तीसगढ़ 16.77754558 ढादरा और नगर हवेली 224.4785902 ढिल्ली 950.6323917 गुजराल 13.92562099 हरियाणा 516.3285158 हिमाचल प्रदेश 52.5197748 जन्म् और कश्मीर 1863.527227 झारखंड 19.4593117 कर्नाटक 3256.992248 केरल 0.000016981 मध्य प्रदेश 810.3547467 महाराष्ट्र 377.6640987 मणिपुर 377.6640987 मणिपुर 377.6640987 मणिपुर 377.6640987 मणिपुर 377.6640987 मणिपुर 377.6640987 प्रचालवंड 9.095996 ओडिशा 9.8867746 लागालेंड 9.09594025 पुडुवेरी 5.4140226 पंजाब 226.8049227 राजस्थाल 19.395249 सिक्किम 16.3886447 हामिलनाडु 277.125547 वियुपा 9.09676155 उत्तर प्रदेश 4768.410525		
चंडोगढ़ 7.8010317 छत्तीसगढ़ 16.77754558 ढादरा और नगर हवेली 224.4785902 ढिल्ली 950.6323917 गुजराल 13.92562099 हरियाणा 516.3285158 हिमाचल प्रदेश 52.5197748 जन्म् और कश्मीर 1863.527227 झारखंड 19.4593117 कर्नाटक 3256.992248 केरल 0.000016981 मध्य प्रदेश 810.3547467 महाराष्ट्र 377.6640987 मणिपुर 377.6640987 मणिपुर 377.6640987 मणिपुर 377.6640987 मणिपुर 377.6640987 मणिपुर 377.6640987 प्रचालवंड 9.095996 ओडिशा 9.8867746 लागालेंड 9.09594025 पुडुवेरी 5.4140226 पंजाब 226.8049227 राजस्थाल 19.395249 सिक्किम 16.3886447 हामिलनाडु 277.125547 वियुपा 9.09676155 उत्तर प्रदेश 4768.410525		
छत्तीसगढ		
दादरा और नगर हवेली		
हित्ली 950.632917 गुजरात 13.92562099 हिरयाणा 516.3285158 हिमाचल प्रदेश 52.5197748 जम्मू और कश्मीर 1863.527227 झारखंड 19.4593117 कर्नाटक 3256.992248 केरल 0.00016981 मध्य प्रदेश 810.3547467 महाराष्ट्र 377.6640987 मणिपुर 377.6640987 मणिपुर 30.0674095 मेघालय 593.7039743 मिजोरम 0.8867746 नागालैंड 0.999996 पुडुचेरी 0.999996 पुडुचेरी 5.4140226 पुडुचेरी 5.4140226 पुज्रवेरी 1397.895249 सिक्किम 16.3886447 तमिलनाडु 2970.120547 तेलंगाला 1776.534372 निपुरा -0.9676155 उत्तर प्रदेश 4768.410525 उत्तर प्रदेश 39.525406 पश्चिम बंगाल 46.82405449	*	
हिरियाणा 516.3285158 हिमाचल प्रदेश 52.5197748 जम्म् और कश्मीर 1863.527227 झारखंड 19.4593117 कर्नाटक 3256.992248 केरल 0.000016981 मध्य प्रदेश 810.3547467 महाराष्ट्र 377.6640987 मणिपुर 377.6640987 मणिपुर 30.0674095 मेघालय 593.7039743 मिजोरम 0.8867746 नागालैंड -0.999996 ओडिशा 590.0954025 पुडुचेरी 500.0954025 पुडुचेरी 1.54140226 पंजाब 226.8049227 राजस्थान 1397.895249 सिक्किम 16.3886447 तमिलनाडु 2970.120547 तेलंगाना 1776.534372 निपुरा -0.9676155 उत्तर प्रदेश 4768.410525 उत्तर प्रदेश 39.525406 पश्चिम बंगाल 46.82405449		
हिरियाणा 516.3285158 हिमाचल प्रदेश 52.5197748 जम्म् और कश्मीर 1863.527227 झारखंड 19.4593117 कर्नाटक 3256.992248 केरल 0.000016981 मध्य प्रदेश 810.3547467 महाराष्ट्र 377.6640987 मणिपुर 377.6640987 मणिपुर 30.0674095 मेघालय 593.7039743 मिजोरम 0.8867746 नागालैंड -0.999996 ओडिशा 590.0954025 पुडुचेरी 500.0954025 पुडुचेरी 1.54140226 पंजाब 226.8049227 राजस्थान 1397.895249 सिक्किम 16.3886447 तमिलनाडु 2970.120547 तेलंगाना 1776.534372 निपुरा -0.9676155 उत्तर प्रदेश 4768.410525 उत्तर प्रदेश 39.525406 पश्चिम बंगाल 46.82405449	गजरात	13.92562099
हिमाचल प्रदेश 52.5197748 जम्मू और कश्मीर 1863.527227 झारखंड 19.4593117 कर्नाटक 3256.992248 केरल 0.000016981 मध्य प्रदेश 810.3547467 महाराष्ट्र 377.6640987 मणिपुर 30.0674095 मेघालय 593.7039743 मिजोरम 0.8867746 नागालैंड 0.999996 ओडिशा 590.0954025 पुडुचेरी 590.0954025 पुडुचेरी 1397.895249 सिक्किम 16.3886447 तमिलनाडु 2970.120547 तेलंगाना 1776.534372 त्रिपुरा 39.525406 पश्चिम बंगाल 46.82405449	3	
जम्मू और कश्मीर झारखंड 19.4593117 कर्नाटक 3256.992248 केरल 0.000016981 मध्य प्रदेश सध्य प्रदेश 810.3547467 महाराष्ट्र 377.6640987 मणिपुर 30.0674095 मेघालय 593.7039743 मिजोरम 0.8867746 नागालैंड 0.999996 ओडिशा 590.0954025 पुडुचेरी 1.54140226 पंजाब 226.8049227 राजस्थान 1397.895249 सिक्किम 16.3886447 तमिलनाडु 2970.120547 तेलंगाना 1776.534372 त्रिपुरा उत्तर प्रदेश 39.525406 पश्चिम बंगाल	ि हिमाचल प्रदेश	52.5197748
झारखंड 19.4593117 कर्लाटक 3256.992248 केरल 0.000016981 मध्य प्रदेश 810.3547467 महाराष्ट्र 377.6640987 मणिपुर 30.0674095 मेघालय 593.7039743 मिजोरम 0.8867746 नागातैंड 0.99996 ओडिशा 590.0954025 पुडुचेरी 5.4140226 पंजाब 226.8049227 राजस्थान 1397.895249 सिक्किम 16.3886447 तमिलनाडु 2970.120547 तेलंगाना 1776.534372 त्रिपुरा 0.9676155 उत्तर प्रदेश 4768.410525 उत्तराखंड 39.525406 पश्चिम बंगाल 46.82405449		1863.527227
केरल0.000016981मध्य प्रदेश810.3547467महाराष्ट्र377.6640987मणिपुर30.0674095मेघालय593.7039743मिजोरम0.8867746नागालैंड-0.999996ओडिशा590.0954025पुउचेरी-5.4140226पंजाब226.8049227राजस्थान1397.895249सिक्किम16.3886447तमिलनाडु2970.120547तेलंगाना1776.534372त्रिपुरा-0.9676155उत्तर प्रदेश4768.410525उत्तराखंड39.525406पश्चम बंगाल46.82405449	**	
मध्य प्रदेश810.3547467महाराष्ट्र377.6640987मणिपुर30.0674095मेघालय593.7039743मिजोरम0.8867746नागालैंड-0.99996ओडिशा590.0954025पुंजाब590.0954025पंजाब226.8049227राजस्थान1397.895249सिक्किम16.3886447तमिलनाडु2970.120547तेलंगाना1776.534372त्रपुरा-0.9676155उत्तर प्रदेश4768.410525उत्तर प्रदेश39.525406पश्चिम बंगाल46.82405449	कर्नाटक	3256.992248
महाराष्ट्र 377.6640987 मणिपुर 30.0674095 मेघालय 593.7039743 मिजोरम 0.8867746 नागालैंड -0.999996 ओडिशा 590.0954025 पुडुचेरी -5.4140226 पंजाब 226.8049227 राजस्थान 1397.895249 सिक्किम 16.3886447 तमिलनाडु 2970.120547 तेलंगाना 1776.534372 त्रिपुरा -0.9676155 उत्तर प्रदेश 39.525406 पश्चिम बंगाल 46.82405449	केरल	0.000016981
मणिपुर 30.0674095 मेघालय 593.7039743 593.7039743 593.7039743 किंप्रांत 0.8867746 नागालैंड -0.999996 जोडिशा 590.0954025 पुडुचेरी 590.0954025 पुंजाब 226.8049227 राजस्थान 1397.895249 सिक्किम 16.3886447 तिमलनाडु 2970.120547 तेलंगाना 1776.534372 तिपुरा -0.9676155 उत्तर प्रदेश 4768.410525 उत्तराखंड 39.525406 पश्चिम बंगाल 46.82405449	मध्य प्रदेश	810.3547467
मणिपुर 30.0674095 मेघालय 593.7039743 593.7039743 593.7039743 किंप्रांत 0.8867746 नागालैंड -0.999996 जोडिशा 590.0954025 पुडुचेरी 590.0954025 पुंजाब 226.8049227 राजस्थान 1397.895249 सिक्किम 16.3886447 तिमलनाडु 2970.120547 तेलंगाना 1776.534372 तिपुरा -0.9676155 उत्तर प्रदेश 4768.410525 उत्तराखंड 39.525406 पश्चिम बंगाल 46.82405449	महाराष्ट्र	377.6640987
मेघालय593.7039743मिजोरम0.8867746नागातैंड-0.999996ओडिशा590.0954025पुडुचेरी-5.4140226पंजाब226.8049227राजस्थान1397.895249सिक्किम16.3886447तमिलनाडु2970.120547तेलंगाना1776.534372त्रपुरा-0.9676155उत्तर प्रदेश4768.410525उत्तर एवंश39.525406पश्चिम बंगाल46.82405449		30.0674095
नागालैंड -0.999996 ओडिशा 590.0954025 पुंडुचेरी -5.4140226 पंजाब 226.8049227 राजस्थान 1397.895249 सिक्किम 16.3886447 तमिलनाडु 2970.120547 तेलंगाना 1776.534372 त्रिपुरा -0.9676155 उत्तर प्रदेश 4768.410525 उत्तर प्रदेश 39.525406 पश्चिम बंगाल 46.82405449	-	593.7039743
ओडिशा590.0954025पुंडुचेरी-5.4140226पंजाब226.8049227राजस्थान1397.895249सिक्किम16.3886447तमिलनाडु2970.120547तेलंगाना1776.534372त्रिपुरा-0.9676155उत्तर प्रदेश4768.410525उत्तराखंड39.525406पश्चिम बंगाल46.82405449	मिजोरम	0.8867746
पुडुचेरी पंजाब 226.8049227 राजस्थान 1397.895249 सिक्किम तिमेलनाडु 2970.120547 तेलंगाना 1776.534372 त्रिपुरा 3न्तर प्रदेश 39.525406 पश्चिम बंगाल	<b>नागालैं</b> ड	-0.999996
पंजाब226.8049227राजस्थान1397.895249सिक्किम16.3886447तमिलनाडु2970.120547तेलंगाना1776.534372त्रिपुरा-0.9676155उत्तर प्रदेश4768.410525उत्तराखंड39.525406पश्चिम बंगाल46.82405449	ओडिशा	590.0954025
पंजाब226.8049227राजस्थान1397.895249सिक्किम16.3886447तमिलनाडु2970.120547तेलंगाना1776.534372त्रिपुरा-0.9676155उत्तर प्रदेश4768.410525उत्तराखंड39.525406पश्चिम बंगाल46.82405449	पुड्चेरी	-5.4140226
सिक्किम तिमलनाडु 2970.120547 तेलंगाना 1776.534372 त्रिपुरा 3न्तर प्रदेश 4768.410525 उत्तर प्रदेश 39.525406 पश्चिम बंगाल		226.8049227
तमिलनाडु 2970.120547 तेलंगाना 1776.534372 त्रिपुरा -0.9676155 उत्तर प्रदेश 4768.410525 उत्तराखंड 39.525406 पश्चिम बंगाल 46.82405449	राजस्थान	1397.895249
तेलंगाना 1776.534372 त्रिपुरा -0.9676155 उत्तर प्रदेश 4768.410525 उत्तराखंड 39.525406 पश्चिम बंगाल 46.82405449	सिक्किम	16.3886447
त्रिपुरा -0.9676155 उत्तर प्रदेश 4768.410525 उत्तराखंड 39.525406 पश्चिम बंगाल 46.82405449	तमिलनाडु	2970.120547
उत्तर प्रदेश4768.410525उत्तराखंड39.525406पश्चिम बंगाल46.82405449	तेलंगाना	1776.534372
उत्तराखंड39.525406पश्चिम बंगाल46.82405449	त्रिपुरा	-0.9676155
पश्चिम बंगाल 46.82405449	उत्तर प्रदेश	4768.410525
	उत्तराखंड	39.525406
कुल <b>21198.30091</b>	पश्चिम बंगाल	46.82405449
	कुल	21198.30091

[स्रोत: जेनको द्वारा प्राप्ति पोर्टल पर दर्शाए अनुसार]

राज्य सभा में दिनांक 02.07.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1235 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*\*

1.4.2019 की स्थिति के अनुसार पवन तथा सौर उत्पादकों, दोनों के आरई आईपीपी के लिए डिस्कॉम्स
द्वारा राज्यवार अनुमानित बकाया राशि (करोड़ रु. में)

राज्य	पवन + सौर पीवी	सौर पीवी	पवन
तमिलनाडु	2,200	1,100	1,100
आंध्र प्रदेश	2,800	840	1,960
कर्नाटक	3,110	960	2,150
तेलंगाना	700	700	
महाराष्ट्र	2,460	560	1,900
राजस्थान	600	240	360
मध्य प्रदेश	800	320	480
उत्तर प्रदेश	700	700	0
अन्य आरई*	450		
कुल	13,820	5,420	7,950

स्रोत: भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (आईआरईडीए) द्वारा अनुमानित आधार पर प्रस्तुत आंकड़े।

\*ये बकाए लघु हाइड्रो, बायोमास, बागैस-कोजेन परियोजनाओं से हैं।

....

#### राज्य सभा

## अतारांकित प्रश्न संख्या-1236 जिसका उत्तर 02 जुलाई, 2019 को दिया जाना है।

### विद्युत की संस्थापित क्षमता का उपयोग

1236. डॉ. के.वी.पी. रामचन्द्र रावः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

- (क) क्या यह सच है कि देश विद्युत की कुल संस्थापित क्षमता की आधी क्षमता का भी उपयोग नहीं कर रहा है:
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ग) देश की कुल संस्थापित क्षमता और उच्चतम मांग वाले दिनों में विद्युत की उच्चतम मांग का ब्यौरा क्या है?

#### उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ग): दिनांक 31.05.2019 की स्थित के अनुसार देश में संस्थापित उत्पादन क्षमता का स्रोतवार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है। जल विद्युत, पवन और सौर परियोजनाओं से वास्तविक उत्पादन जल की उपलब्धता, पवन की पर्याप्त गति, सूर्य की किरणों आदि पर निर्भर करता है। चूंकि ये स्रोत मौसमी और अनिरंतर हैं, इसलिए विद्युत की शेष मांग को न्यूक्लियर, कोयला, लिग्नाइट और गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं से पूरा किया जाता है। अतः सभी प्रचालनात्मक उत्पादन क्षमताओं का मांग के अनुसार उपयोग किया जाता है और तदनुसार चालू वर्ष 2019-20 के दौरान 183.51 जीडब्ल्यू की व्यस्ततम विद्युत मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है।

राज्य सभा में दिनांक 02.07.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1236 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

# 31.05.2019 की स्थिति के अनुसार अखिल भारतीय संस्थापित उत्पादन क्षमता

स्रोत/ईंधन	क्षमता (मेगावाट)
धर्मल	
कोयला	194444.50
लिग्नाइट	6260.00
गैस	24937.22
ਤੀ <b>ज</b> ल	637.629
थर्मल कुल	226279.34
न्यूक्लियर	6780
हाइड्रो	45399.22
नवीकरणीय (आरईएस) (#)	
लघु जल विद्युत	4594.15
पवन विद्युत	35815.88
जैव विद्युत	
- बीएम विद्युत/कोजेन.	9131.5
- वेस्ट टू एनर्जी	138.3
सौर विद्युत	28679.21
नवीकरणीय (आरईएस) कुल (#)	78359.04
अखिल भारत कुल	356817.60

(#) - एमएनआरई से नवीकरणीय (आरईएस) के संबंध में संस्थापित क्षमता 30.04.2019 की स्थिति के अनुसार है।

....

## राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या-1237 जिसका उत्तर 02 जुलाई, 2019 को दिया जाना है ।

### घटिया गुणवत्ता वाले एलईडी बल्बों की आपूर्ति

### 1237. श्री वि. विजयसाई रेड्डीः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

- (क) क्या मंत्रालय को पता है कि विभिन्न राज्यों में इनकैनडीसेंट बल्बों को बदलने हेतु घटिया गुणवत्ता वाले एलईडी बल्बों की आपूर्ति के कारण वे कुछ ही महीनों में खराब हो जाते हैं और आपूर्ति कंपनियां उन्हें बदलने से मना कर रही हैं;
- (ख) क्या मंत्रालय ने खराब एलईडी बल्बों की आपूर्ति के कारणों का पता लगाने हेतृ तृतीय पक्ष द्वारा सर्वेक्षण कराए जाने का आदेश दिया है; और
- (ग) यदि हां, तो आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना के विशेष संदर्भ में ऐसे सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है?

#### उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

### (श्री आर. के. सिंह)

(क): विद्युत मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) की एक संयुक्त उद्यम कंपनी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लि. (ईईएसएल) देशभर में घरेलू उपभोक्ताओं को सभी के लिए वहनीय एलईडी द्वारा उन्नत ज्योति (उजाला) के अंतर्गत एलईडी बल्ब वितरित कर रहा है। उजाला योजना के अंतर्गत ईईएसएल द्वारा आपूर्ति किए जा रहे एलईडी बल्ब भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा विनिर्दिष्ट गुणवत्ता नियंत्रण मानकों अर्थात् आईएस 16102 (भाग 1) तथा (भाग 2):2012 का पालन करते हैं। बीआईएस द्वारा ये मानक मई, 2015 में अनिवार्य कर दिए गए हैं और घरेलू विनिर्माण के साथ-साथ आयात पर भी लागू हैं। 28 जून, 2019 की स्थिति के अनुसार सम्पूर्ण भारत में सभी 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कवर करते हुए 35.16 करोड़ से अधिक एलईडी बल्ब वितरित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, अब तक तक निजी क्षेत्र में अन्य मार्केट प्लेयरों ने 111.66 करोड़ एलईडी बल्बों का विक्रय किया है।

उजाला योजना के अंतर्गत वितरित किए गए एलईडी बल्बों की त्रिस्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण जांच (बोली स्तर, वितरण स्तर पर तथा वितरण स्तर के बाद) की जाती है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल उच्च गुणवत्ता वाले एलईडी बल्ब ही वितरित किए जाएं। कड़ी गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रिया के परिणामस्वरूप, सम्पूर्ण भारत में उजाला के अंतर्गत वितरित किए गए एलईडी बल्बों की विफलता दर मात्र 0.99% है। इसके अतिरिक्त, उजाला के अंतर्गत वितरित किए गए एलईडी बल्बों को, विक्रय की तिथि से एक वर्ष की अविध के भीतर किसी भी दोष के लिए ईईएसएल द्वारा निश्ल्क बदला जाता है।

और (ख)(ग): आंध्र प्रदेश और संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी में इस योजना के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए वर्ष 2015 में ईईएसएल द्वारा एक तृतीय पक्ष एजेंसी अर्थात् मैसर्स प्राइस वाटरहाउस कूपर्स (पीडब्ल्यूसी) को लगाया गया था।

पीडब्ल्यूसी द्वारा किए गए अध्ययन के आधार पर मूल्यांकित दोष की दर 1% से कम है। ईईएसएल ने गुणवत्ता नियंत्रण उपायों में सुधार किया है और सकल दोष दर 1% से कम है। एलईडी बल्बों की विफलता दर के राज्य-वार ब्यैरे अनुबंध में दर्शाए गए हैं और इसे उजाला की वेबसाइट (www.ujala.gov.in) पर भी अपलोड किया गया है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में दोष दर क्रमशः 0.9% और 0.6% है।

राज्य सभा में दिनांक 02.07.2019 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1237 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

\*\*\*\*\*

खराब एलईडी बल्बों की स्थिति		
क्रम सं.	राज्य	विफलता दर %
1	आंध्र प्रदेश	0.90%
2	असम/पूर्वीत्तर राज्य	0.40%
3	बिहार	1.70%
4	छत्तीसगढ़	1.40%
5	दिल्ली	0.97%
6	गुजरात	1.60%
7	हरियाणा	1.20%
8	हिमाचल प्रदेश	0.48%
9	जम्मू और कश्मीर	1.70%
10	झारखंड	1.70%
11	कर्नाटक	0.80%
12	केरल	0.34%
13	मध्य प्रदेश	1.90%
14	महाराष्ट्र	0.93%
15	नागालैंड	0.30%
16	ओडिशा	0.95%
17	पंजाब	0.40%
18	राजस्थान	0.99%
19	तमिलनाडु	0.40%
20	तेलंगाना	0.60%
21	संघ राज्य क्षेत्र	1.00%
22	उत्तर प्रदेश	1.90%
23	उत्तराखंड	0.70%
24	पश्चिम बंगाल	0.45%
प्रतिशतता (विफलता दर)		0.99%

----

## राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या-1238 जिसका उत्तर 02 जुलाई, 2019 को दिया जाना है ।

### ग्रामों का विद्युतीकरण

1238. डा. एल. हनुमंतय्याः

श्री राजमणि पटेलः

डॉ. अमी यज्ञिकः

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

- (क) देश में 3 मार्च, 2019 तक विद्युतीकरण किए गए गांवों की क्ल संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्छ गांवों के विद्य्तीकरण न किए जाने के क्या कारण हैं;
- (ग) उन गांवों का विद्युतीकरण कब तक कर लिया जाएगा; और
- (घ) सदूर गांवों के विद्युतीकरण और बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने हेत् सरकार की क्या योजना है?

#### उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (घ) : राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 28 अप्रैल, 2018 की स्थिति के अनुसार देश में सभी बसावट वाले जनगणना गांवों का विद्युतीकरण कर दिया गया है।

मांग में वृद्धि को पूरा करने के लिए देश में पर्याप्त संस्थापित क्षमता मौजूद है। 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार देश की कुल संस्थापित क्षमता 356.100 जीडब्ल्यू है, जब कि औसत व्यस्ततम मांग 177.022 जीडब्ल्यू है।